ई-मेल द्वारा

रा.आ.बैंक/एचओ/डीओएस/डाक/2024/03451/2024-25
सितंबर 13, 2024

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां (आ.वि.कं.)

महोदय/महोदया

भारतीय स्टाम्प अधिनियमऔर भारतीय पंजीकरण अधिनियमका अनुपालन – परामर्श

बैंक को राज्य सरकारों द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ वित्तीय संस्थान विभिन्न राज्य विधिकों के तहत आवश्यक साम्यापूर्ण बंधक या स्वामित्व विलेख प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। कुछ मामलों मेंयह भी पाया गया है कि विभिन्न विधिक दस्तावेजों पर गलत मुहर लगी है।

इन मामलों के उत्तर मेंयह सलाह दी जाती है कि आवास वित्त कंपनियां भारतीय स्टाम्प अधिनियमसंबंधित राज्य स्टाम्प अधिनियम एवं उनकी अनुसूची तथा संशोधनपंजीकरण अधिनियमऔर राज्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न नियम/अधिसूचनाएं/आदेश/परिपत्र/दिशानिर्देश के लागू प्रावधानों और प्रक्रियाओं के साथ आवश्यक अनुपालन/पालन सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अनुपालन का सत्यापन किया जाएगा।

सभी आवास वित्त कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे इस परामर्श का ध्यान रखें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

आर.के.अरविंद

(आर.के.अरविंद)
उप महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग